रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-25082025-265667
CG-DL-E-25082025-265667

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 529]	नई दिल्ली, शुक्रवार, अगस्त 22, 2025/श्रावण 31, 1947
No. 529]	NEW DELHI, FRIDAY, AUGUST 22, 2025/SHRAVANA 31, 1947

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय
(विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग)
अधिसूचना

नई दिल्ली, 21 अगस्त, 2025

सा.का.नि. 573(अ).— राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और भारतीय सर्वेक्षण विभाग (कनिष्ठ अनुवादक और ज्येष्ठ अनुवादक) भर्ती नियम, 2019 को, जहां तक उनका संबंध ज्येष्ठ अनुवादक के पद से है, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के अधीन भारतीय सर्वेक्षण विभाग में वरिष्ठ अनुवाद अधिकारी के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती हैं, अर्थात् :-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारतीय सर्वेक्षण विभाग, वरिष्ठ अनुवाद अधिकारी (समूह 'ख' पद) भर्ती नियम, 2025 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. पद-संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर.- उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में उसका स्तर वह होगा, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि.- उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. निरर्हता.- वह व्यक्ति, -

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित हैं, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है;

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह उस व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. शिथिल करने की शक्ति.- जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. व्यावृत्ति.- इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	**पदों की संख्या**	**वर्गीकरण**	**वेतन मैट्रिक्स में स्तर**	**चयन पद है अथवा अचयन पद**
(1)	**(2)**	**(3)**	**(4)**	**(5)**
वरिष्ठ अनुवाद अधिकारी ।	11* (2025) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केंद्रीय सेवा, समूह 'ख', अराजपत्रित, अननुसचिवीय।	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-7 (44900-142400 रु.)।	चयन पद ।

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा	**सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं**	**सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं।**
(6)	**(7)**	**(8)**
तीस वर्ष से अनधिक आयु । (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए पाँच वर्ष तक शिथिल की जा सकती है।)	**आवश्यक अर्हताएं:** (i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से हिन्दी मे मास्टर डिग्री और डिग्री स्तर पर अनिवार्य या वैकल्पिक विषय या परीक्षा के माध्यम के रूप में अंग्रेजी हो; या (ii) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से अंग्रेजी में मास्टर डिग्री और डिग्री स्तर पर अनिवार्य या वैकल्पिक विषय या परीक्षा के माध्यम के रूप में हिन्दी हो; या (iii) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से हिन्दी अथवा अंग्रेजी के अतिरिक्त किसी अन्य विषय में हिन्दी माध्यम से मास्टर डिग्री और	नहीं ।

टिप्पण.- आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख वह होगी जो कर्मचारी चयन आयोग द्वारा यथा विज्ञापित हो ।	डिग्री स्तर पर अनिवार्य या वैकल्पिक विषय या परीक्षा के माध्यम के रूप में अंग्रेजी हो;या (iv) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से हिन्दी या अंग्रेजी के अतिरिक्त किसी अन्य विषय में अंग्रेजी माध्यम से मास्टर डिग्री और डिग्री स्तर पर अनिवार्य या वैकल्पिक विषय या परीक्षा के माध्यम के रूप में हिन्दी हो; या (v) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से हिन्दी अथवा अंग्रेजी के अतिरिक्त किसी अन्य विषय में मास्टर डिग्री और डिग्री स्तर पर अनिवार्य या वैकल्पिक विषय के रूप में हिन्दी तथा अंग्रेजी हो या दोनों में से एक परीक्षा का माध्यम हो और दूसरा अनिवार्य या वैकल्पिक विषय हो; और **अनुभव:** हिन्दी से अंग्रेजी तथा अंग्रेजी से हिन्दी में अनुवाद में किसी मान्यताप्राप्त संस्था से डिप्लोमा प्रमाण पत्र या प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम हो या केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन जिसके अंतर्गत भारत सरकार के उपक्रम भी हैं, में हिन्दी से अंग्रेजी और अंग्रेजी से हिन्दी में अनुवाद कार्य का तीन वर्ष का अनुभव हो। **टिप्पण 1.-** अर्हताएं अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में, कारणों को लेखबद्ध करके, कर्मचारी चयन आयोग के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती हैं। **टिप्पण 2.-** अनुभव संबंधी अर्हताएं, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में, कारणों को लेखबद्ध करके, कर्मचारी चयन आयोग के विवेकानुसार तब शिथिल की जा सकती है जब चयन के किसी प्रक्रम में कर्मचारी चयन आयोग की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित पदों को भरने के लिए उन समुदायों के अपेक्षित अनुभव रखने वाले अभ्यार्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है।	

परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो।	**भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/ आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता।**	**प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति /आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति / आमेलन किया जाएगा।**
(9)	(10)	(11)
सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए दो वर्ष।	प्रोन्नति द्वारा, जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा, दोनों के न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा ।	**प्रोन्नति:** कनिष्ठ अनुवाद अधिकारी जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स के स्तर-6 (35400-112400 रु.) में ग्रेड में पाँच वर्ष नियमित सेवा की हो तथा केन्द्रीय अनुवाद ब्यूरो, राजभाषा विभाग, नई दिल्ली से अनुवाद में चार सप्ताह का प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूर्ण किया हो ।

टिप्पण.- केंद्रीय सरकार द्वारा यथाविहित परिवीक्षा सफलतापूर्वक पूर्ण करने के लिए कम से कम दो सप्ताह का अनिवार्य प्रवेश प्रशिक्षण करना होगा।		**टिप्पण.-** जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहाँ उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो। **प्रतिनियुक्ति:** केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकारों या संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन के अधिकारी:- (क)(i) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किया हुआ हो; या (ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स के स्तर -6 (35400-112400रु.) में या समतुल्य में नियमित आधार पर पद पर नियुक्ति के पश्चात् पाँच वर्ष की नियमित सेवा की हो; या (ख) जिनके पास स्तंभ (7) के अधीन सीधे भर्ती किए व्यक्तियों के लिए विहित शैक्षणिक अर्हताएं और अनुभव हो । **टिप्पण 1.-** पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में है, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। **टिप्पण 2.-** प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी। **टिप्पण 3.-** प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना।	**भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।**
(12)	**(13)**
समूह 'ख' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे:- 1. अपर महासर्वेक्षक, महासर्वेक्षक कार्यालय -अध्यक्ष;	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक नहीं है ।

2. उप महासर्वेक्षक, महासर्वेक्षक कार्यालय - सदस्य; 3. निदेशक (चक्रानुक्रम पर), भारत के महासर्वेक्षक द्वारा नामनिर्दिष्ट हो -सदस्य; 4. सहायक महासर्वेक्षक -सदस्य। समूह 'ख' विभागीय पुष्टि समिति (पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे:- 1. अपर महासर्वेक्षक, महासर्वेक्षक कार्यालय -अध्यक्ष; 2. उप महासर्वेक्षक, महासर्वेक्षक कार्यालय - सदस्य; 3. निदेशक (चक्रानुक्रम पर), भारत के महासर्वेक्षक द्वारा नामनिर्दिष्ट हो -सदस्य; 4. सहायक महासर्वेक्षक -सदस्य।	

[फा.सं. एसएम/02/19/2023 (पी.टी.)]

संजय कुमार, अवर सचिव

MINISTRY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY
(DEPARTMENT OF SCIENCE AND TECHNOLOGY)

NOTIFICATION

New Delhi, the 21st August, 2025

G.S.R. 573(E).—— In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Survey of India (Junior Translator and Senior Translator) Recruitment Rules, 2019, in so far as they relate to the post of Senior Translator, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Senior Translation Officer in the Survey of India under the Department of Science and Technology, Ministry of Science and Technology, namely:-

1. Short title and commencement. – (1) These rules may be called the Ministry of Science and Technology, Survey of India, Senior Translation Officer (Group 'B' Post) Recruitment Rules, 2025.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of post, classification and level in pay matrix. – The number of the said post, its classification and level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc. – The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

4. Disqualification. – No person, –

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or
(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. Power to relax. – Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. Saving. – Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Other Backward Classes, the Ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post.	**Number of post.**	**Classification.**	**Level in pay matrix.**	**Whether selection post or non-selection post.**
(1)	**(2)**	**(3)**	**(4)**	**(5)**
Senior Translation Officer.	11* (2025) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'B', Non-Gazetted, Non- Ministerial.	Level-7 in the pay matrix (Rs.44900-142400).	Selection.

Age-limits for direct recruits.	**Educational and other qualifications required for direct recruits.**	**Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.**
(6)	**(7)**	**(8)**
Not exceeding thirty years of age. (Relaxable for the Government servants upto five years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government). **Note.-** The crucial date for determining the age-limit shall be as advertised by the Staff Selection Commission.	**Essential qualifications:** (i)Master's degree from a recognised University in Hindi with English as a compulsory or elective subject or as the medium of examination at the degree level; or (ii)Master's degree from a recognised University in English with Hindi as a compulsory or elective subject or as the medium of examination at the degree level; or (iii)Master's degree from a recognised University in any subject other than Hindi or English, with Hindi medium and English as a compulsory or elective subject or as the medium of examination at the degree level; or (iv)Master's degree from a recognised University in any subject other than Hindi or English, with English medium and Hindi as a compulsory or elective subject or as the medium of examination at the degree level; or (v)Master's degree from a recognised University in any subject other than Hindi or English, with Hindi and English as compulsory or elective subjects or either of the two as a medium of examination and the other as a compulsory or elective subject at degree level; and **Experience:** Diploma certificate from a recognised institution or certificate course in translation from Hindi to English and vice versa or three years' experience of translation work from Hindi to English and vice versa in the Central Government or State Governments or Union territory Administrations, including Government of India undertaking.	No.

	Note 1.- The qualifications are relaxable at the discretion of the Staff Selection Commission, for reasons to be recorded in writing, in the case of candidates otherwise well qualified. **Note 2.-** The qualifications regarding experience are relaxable at the discretion of the Staff Selection Commission, for reasons to be recorded in writing, in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes, if at any stage of selection, the Staff Selection Commission is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancies reserved for them.	

Period of probation, if any.	**Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/ absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.**	**In case of recruitment by promotion or by deputation/ absorption, grades from which promotion or deputation/ absorption to be made.**
(9)	**(10)**	**(11)**
Two years for direct recruits. **Note.-** There shall be a mandatory induction training of at least two weeks duration for successful completion of the probation as prescribed by the Central Government.	By promotion, failing which by deputation, failing both by direct recruitment.	**Promotion:** Junior Translation Officer in level-6 in the pay matrix (Rs.35400-112400) with five years regular service in the grade and having successfully completed four weeks of training in translation from the Central Translation Bureau, Department of Official Language, New Delhi. **Note.-** Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors shall also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service. **Deputation:** Officers of the Central Government or State Governments or Union territory Administrations,- (a) (i) holding analogous posts on a regular basis in the parent cadre or department; or (ii) with five years service rendered after appointment to the post on a regular basis in level-6 in the pay matrix (Rs.35400-112400) or equivalent in the parent cadre or department; and (b) possessing the educational qualifications and experience prescribed for direct recruitment under column (7). **Note 1.-** The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, the deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion. **Note 2.-** The period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other

		organisation or Department shall ordinarily not exceed three years. **Note 3.-** The maximum age-limit for appointment by deputation shall be not exceeding fifty-six years as on the last date of receipt of applications.

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.	**Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.**
(12)	**(13)**
Group 'B' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of:- 1. Additional Surveyor General, Surveyor General's Office -Chairman; 2. Deputy Surveyor General, Surveyor General's Office - Member; 3. Director (on rotation) to be nominated by the Surveyor General of India - Member; 4. Assistant Surveyor General -Member. Group 'B' Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of:- 1. Additional Surveyor General, Surveyor General's Office -Chairman; 2. Deputy Surveyor General, Surveyor General's Office - Member; 3. Director (on rotation) to be nominated by the Surveyor General of India - Member; 4. Assistant Surveyor General -Member.	Consultation with the Union Public Service Commission is not necessary.

[F.No.SM/02/19/2023(pt.)]
SANJAY KUMAR, Under Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. GORAKHA NATH YADAVA Digitally signed by GORAKHA NATH YADAVA Date: 2025.08.25 14:02:46 +05'30'